International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 04, No. 01(III), January - March, 2022, pp.45-51

नई शिक्षा नीति चुनौतियॉ एवं सम्भावनाएँ

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय*

सार

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के उत्थान एवं नव निर्माण की दशा एवं दिशा तय करती है। मानव मूल्यो पर आधारित शिक्षा प्रणाली से राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिक्षा हमे संस्कार स्वावलंबन नैतिकता तर्क विवेक एवं आत्म ज्ञान के साथ ही आत्म विश्वास भी प्रदान करती है। स्वतंत्रता के उपरान्त हमारे देश के नीति नियंताओ के समक्ष दो विकल्प थे प्रथम अधिनायक तन्त्र की शिक्षा व्यवस्था को चलने दिया जाये अंग्रेज शासको की शिक्षा व्यवस्था उनके हितो के अनुरूप थी। दूसरा विकल्प शिक्षा मे आमूलचूल परिवर्तन कर स्वाधीन भारत की जन अपेक्षाओ के अनुरूप नवीन व्यवस्था लागू की जाये। नई शिक्षा नीति प्रचलित शिक्षा व्यवस्था मे आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु बनायी गई है। वस्तुतः वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

शब्दकोशः *नई शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्था, अधिनायक तन्त्र, अर्थव्यवस्था।*

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के उत्थान एवं नव निर्माण की दशा एवं दिशा तय करती है ।मानव मूल्यो पर आधारित शिक्षा प्रणाली से राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इस के विपरीत मानव मूल्यो की उपेक्षा करने वाली शिक्षा व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के पतन का कारण भी हो सकती है शिक्षा के संबंध में गांधी जी चिंतन मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास की ओर इंगित करता है। महान शिक्षाविद संत एवं ज्ञान के प्रतिमूर्ति स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा हमे संस्कार स्वावलंबन नैतिकता तर्क विवेक एवं आत्म ज्ञान के साथ ही आत्म विश्वास भी प्रदान करती है। स्वतंत्रता के उपरान्त हमारे देश के नीति नियंताओ के समक्ष दो विकल्प थे प्रथम अधिनायक तन्त्र की शिक्षा व्यवस्था को चलने दिया जाये अंग्रेज शासको की शिक्षा व्यवस्था उनके हितो के अनुरूप थी। दूसरा विकल्प शिक्षा मे आमूलचूल परिवर्तन कर स्वाधीन भारत की जन अपेक्षाओ के अनुरूप नवीन व्यवस्था लागू की जाय। तत्कालीन नीति नियंताओ ने प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को अंगीकार कर लिया। शायद यही सबसे बड़ी भूल थी जिसका खामियाजा हमे अब तक भोगना पड़ रहा है।शिक्षा के क्षेत्र मे अब तक किए गए प्रयोग नाकाफी है।

सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र मे सुधार का सूत्रपात 1968 मे हुआ। 1986 से 1992 तक अनेको प्रयास एवं प्रयोग करने के उपरान्त भी हम शिक्षा का कोई मानक स्थापित नही कर सके। वस्तुतः 1986 की शिक्षा नीति में परिलक्षित कमियो को दूर करने के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने की आवश्यकता पड़ी। नई शिक्षा

* एसोसियेट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

नीति प्रचलित शिक्षा व्यवस्था मे आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु बनायी गई है। पूर्व के प्रयास प्रचलित शिक्षा व्यवस्था मे सुधार हेतु किए गये थे किन्तु वर्तमान नई शिक्षा नीति पूर्व प्रचलित व्यवस्था मे सुधार पर आधारित न होकर आमूलचूल परिवर्तन की दिशा तय करने की ओर अग्रसर है।

वस्तुतः शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने एवं सिखाने की क्रिया है किन्तु व्यापक अर्थ मे शिक्षा किसी भी समाज में अनवरत् चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास एवं व्यवहार परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य मे योग्यता व गुणवत्ता का समावेश किया जाता है। नई शिक्षा नीति प्रचलित शिक्षा व्यवस्था मे सुधार की रूपरेखा न प्रस्तुत कर समग्र परिवर्तन की दिशा तय करती है इस श्रंखला मे वर्तमान

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति के माध्यम से स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में ड्राप रेसियो को शून्य कर 100þ GER के साथ–साथ पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

इसके पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (ळतवे म्नतवसउमदज त्ंजपव–ळम्त्) को 100þ लाने का लक्ष्य रखा गया है।नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6þ हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

पूर्व प्रचलित शिक्षा नीति 10+2 के स्थान पर नई शिक्षा नीति मे 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्तावकिया गया है पूर्व निर्धारित व्यवस्था मे स्कूल मे प्रवेश आयु 6 वर्ष के स्थान पर वर्तमान नीति मे प्रवेश आयु 3 वर्ष कर दी गई है इसमे 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है प्रथम स्तर पर पाँच वर्ष की फाउंडेशनल

स्टेज (Foundational Stage) – 3 साल का प्री –प्राइमरी स्कूल जिसमे बच्चा स्कूल जाकर केवल खेल खेल मे सीखने काप्रयास करेगा कोई भी अध्ययन सामग्री उसके पास नही होगी स्कूल का माहौल बच्चे के लिए खुशनुमा बनाने का प्रयास शिक्षको द्वारा किया जाएगा इस स्टेज पर कक्षा 1 एवं 2 मे अध्ययन रत छात्र की परीक्षा भी नही होगी, ग्रेड 2 स्टेज प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage) तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) मे बच्चा कक्षा तीन चार और पांच तक अध्ययन करेगा स्टेज तीन पर जिसकी अवधि तीन वर्ष होगी – कक्षा 6, 7, 8 एवं स्टेज चार 4 वर्ष का उच्च (या माध्यमिक चरण मे कक्षा या ग्रेड 9, 10, 11, 12 सम्मिलित होगे ।पूर्व प्रचलित व्यवस्था मे कला विज्ञान व वाणिज्य अलग अलग विधा के रूप मे विद्यमान थे जिसमे से किसी एक विधा को अध्ययन हेतु विद्यार्थी चुन सकता था, किन्तु इस व्यवस्था मे छात्र को किसी भी विधा से कोई भी विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी ।

अर्थात छात्र कला वाणिज्य एवं विज्ञान सभी मे से कोई भी पेपर चुन सकेगा। जैसे इतिहास गणित रसायन विज्ञान एवं लेखा शास्त्र का चयन कर विद्यार्थी अपना कोर्स पूरा कर सकता है।नई शिक्षा नीति 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा– 3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।भाषायी विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिये नई शिक्षा नीति –2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृ भाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी नियमित रूप से खेल–कूद योग नृत्य

मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।पाठ्यक्रम औरमूल्यांकन संबंधी सुधारो के अन्तर्गत प्रस्तावित कला और विज्ञान व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी। 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training& NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence& AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकेगा। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधारो के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय –समय पर किये गएकार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers & NPST) का विकास किया जाएगा।राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा छब्म्त्ज के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Teacher Education & NCFTE) का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4–वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाये।

नई– शिक्षा 2020 के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को 26.3ः(वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50ः तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा इस शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे अभिनव प्रयोग है नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है इसके अन्तर्गत 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा यदि छात्र स्नातक स्तर पर प्रवेश लेकर केवल एक वर्ष ही अध्ययनरत रहता है उसके पश्चात वह कतिपय कारणो से अपने अध्ययन को आगे बढाने मे असमर्थ है तो उसे एक वर्ष अध्ययन के उपरान्त स्नातक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जब कि वर्तमान प्रचलित व्यवस्था मे स्नातक की उपाधि के लिए तीन वर्ष अध्ययन अनिवार्य है। यदि कोई छात्र 2 वर्षों तक अध्ययन के उपरान्त आगे की पढाई नही कर पाता तो दो वर्ष की परीक्षा के आधार पर उसे स्नातक एडवांस डिप्लोमा, का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यदि छात्र तीन वर्षों तक अध्ययन रत रहकर परीक्षा पास करने के बाद चौथे वर्ष मे अध्ययन नही करना चाहता तो उसे स्नातक की उपाधि मिल जायेगी और वह स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओ हेतु अर्हता प्राप्त कर लेगा। किन्तु छात्र द्वारा सम्पूर्ण चार साल अध्ययन के उपरान्त उसे शोध स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी।

इसके साथ ही विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (।बंकमउपब ठंदा व्ि ब्तमकपज) की स्थापना प्रस्तावित है। अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक संस्थानो की ग्रेडिंग की जाएगी। जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। वस्तुतः शैक्षणिक संस्थानो की ग्रेडिंग से उच्च शिक्षा संस्थानो मे परस्पर प्रतिस्पर्धा का भाव जागृत होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान ही दीर्घकाल मे अपने अस्तित्व की रक्षा करने मे समर्थ हो सकेगे। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा न प्रदान करने वाले संस्थान बंद हो सकते है। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल कार्यक्रम को

समाप्त कर दिया गया है। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिए छात्र को एक वर्ष एवं दो वर्ष मे पाठ्यक्रम पूरा करने के विकल्प दिए गये है। अब पी एच डी की उपाधि प्राप्त करने की समय सीमा चार साल होगी।

नई शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एकल नियामक संस्था भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Council of India & HECI) की परिकल्पना की गई है भारतीय उच्च शिक्षा परिषद चिकित्सा एवंकानूनी शिक्षा को छोड़कर सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकायो की स्थापना भी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatroy Council & NHERC) शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा। सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council & GEC): उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।

राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council & NAC) : संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व–प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।

उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council & HGFC) : निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।

वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है।

देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान

विश्वविद्यालय (Multidisciplinary Education and Research Universities & MERU) की स्थापना की जाएगी। नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र आवास सहायक उपकरण प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण शिक्षकों का पूर्ण सहयोग एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

एक स्वायत्त निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' (National Educational Technological Forum) का गठन कर देश मे डिजिटल शिक्षा माध्यम का विस्तार किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा।डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी। इसके साथ ही भारत वर्ष के पारंपरिक ज्ञान विज्ञान को संरक्षित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए है। प्राचीन ज्ञान प्रणालियाँ जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। आर्थिक शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रो को आकांक्षी जिले (Aspirational districts)

की श्रेणी मे रखते हुए जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र (Special Educational Zones) के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सरकार सभी लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर छात्रों को समानता प्रदान करने हेतु एक जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की स्थापना करेगी। इसके साथ ही 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्;चर्या और शैक्षणिक ढाँचे का निर्माण एनसीआरटीई द्वारा किया जाएगा।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति पिछड़े वर्ग एवं सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षणिक अवसर की समानता पर विशेष बल दिया गया था। इस नीति के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" लॉन्च किया।साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया।

वस्तुतः वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गयी भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति चुनौतियाँ

नई शिक्षा नीति 2020 पूर्व प्रचलित शिक्षा नीति मे सुधार से सम्बन्धित न होकर अपितु सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था मे आमूलचूल परिवर्तन से सम्बन्धित है अतः नई शिक्षा नीति के सम्पूर्ण देश मे क्रियान्वयन हेतु आधार भूत भौतिक संरचना की आवश्यकता होगी। जिसमे बृहद स्तर के विनियोग की आवश्यकता होगी। गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास भी मानक के अनुरूप करना होगा ।

शिक्षा समवर्ती सूची मे होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को अपने स्तर से प्रयास करना होगा साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। अनेक राज्य सरकारे विशेष रूप से केन्द्र से भिन्न पार्टियो की सरकारे नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन मे बाधक हो सकती है। उनके द्वारा राज्यो की स्वायत्तता मे कमी का मुद्दा भी उठाया जा सकता है।

नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन मे सबसे बड़ी बाधा पूर्वोत्तर भारत जिसमें एक साथ जुड़े 'सात बहनों' के नाम से प्रसिद्ध राज्य असम, अरूणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, आदि राज्यो मे है। पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों से कुछ भिन्न है। भाषा की दृष्टि से यह क्षेत्र तिब्बती बर्मी भाषाओँ के अधिक प्रचलन के कारण अलग से पहचाना जाता है। इस क्षेत्र में वह दृढ़ जातीय संस्कृति व्याप्त है जो सांस्कृतिक सम्मिलन के प्रभाव मे नही आ सकी। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों की सीमाऐं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं वर्तमान सरकार इन क्षेत्रो के विकास के लिए पूर्व प्रचलित नीति लुक ईस्ट के स्थान पर एक्ट ईस्ट नीति का अनुसरण कर रही है। इसके साथ ही दक्षिण के राज्यो मे भी सांस्कृतिक एवं भाषायी आधार पर नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन मे बाधाऐ आ सकती है।

नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भी भारत वर्ष मे शाखाऐ खोलने की अनुमति दी गई है भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयो मे भी अध्ययन करने हेतु स्वतंत्र होंगे अतः भारतीय शिक्षण संस्थानो को विदेशी विश्वविद्यालयो से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है ।

कतिपय शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महँगी हो सकती है। परिणामस्वरूप निर्धन वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह भी आरोप है कि 'त्रि–भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। कतिपय राज्यों में शुल्क संबंधी विनियमन होने के बावजूद मुनाफाखोरी पर अंकुश नही लग सका है इसके साथ ही वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक

व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6þ खर्च करने की सरकार की इच्छाशक्ति कितनी मजबूत है। मानव संसाधन का मानक के अनुरूप न होने के कारण वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है ऐसी स्थिति मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक विद्यालयो मे नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था मे आमूलचूल परिवर्तन करना सहज नही होगा। वर्तमान परिपेक्ष्य मे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक समस्या प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर ही है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे भी पारम्परिक शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु आधारभूत संरचना स्थापित करना सहज नही होगा। वस्तुतः भारत मे प्रचलित एवं व्यवहरित ब्रिटिश शासन कालीन मैकाले शिक्षा नीति न तो ज्ञानार्जन के लिए ही उपयुक्त थी और न ही इसके माध्यम से रोजगार सृजन की सम्भावनाऐ ही विद्यमान थी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद के हितो का पोषण एवं संरक्षण मात्र था । यह शिक्षा व्यवस्था कतिपय ऐतिहासिक प्रसंगो एवं नीति नियंताओ के महिमामंडन के साथ ही ब्रिटिश अधिनायक तन्त्र हेतु निष्ठावान सैनिक तैयार करने कार्यालयीय कृत्यो के समुचित संचालन हेतु क्लर्क एवं सहायक कार्मिक तैयार करना था ।

स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित संविधान मे शिक्षा को समवर्ती सूची मे डाल कर केन्द्र सरकार ने अपने कर्तव्यो की इति श्री मान ली और स्वनामधन्य नीति नियंताओ ने भारतीय परिवेश के अनुकूल एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने का यत्न ही नही किया ।केन्द्र व राज्य सरकारे शिक्षा जैसे संवेदनशील प्रश्न को एक दूसरे पर टालने का यत्न करते रहे ।यहॉ तक की शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन विकास विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु बजट का प्रावधान भी दाल मे नमक के बराबर ही किया गया । वस्तुतः स्वतंत्रता के उपरान्त स्थापित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मे दीर्घकाल तक सत्ता मे बने रहने की लालसा के कारण भारतीय निर्धन अशिक्षित शोषित जनता के शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक उन्नयन का यत्न ही नही किया गया। क्योंकि जिन राजनेताओ मे आजादी की लड़ाई मे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप मे कुछ भी योगदान किया था आजादी के बाद वे दीर्घ काल तक सत्ता रूपी मलाई काटने की आकांक्षा पाले हुए थे। वस्तुतः किसी भी देश की शिक्षित एवं जागृत जनता अपने मताधिकार का तर्क एवं विवेक पूर्ण उपयोग करती है और अशिक्षित एवं आर्थिक रूप से विपन्न जनता जाति धर्म सम्प्रदाय भाषा क्षेत्र मजहब आर्थिक प्रलोभन के आधार पर अविवेक पूर्ण निर्णय लेकर अयोग्य वह अक्षम जनप्रतिनिधियो का चयन कर सकती है ।शिक्षा के द्वारा तर्क शक्ति जागृत हो जाने के कारण जनता किसी गुंडे मवाली को अपना जनप्रतिनिधि नही चुन सकती। वर्तमान समय मे शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़े पन के कारण राजनीति मे सेवाभाव रखने वालो के स्थान पर राजनीति को व्यवसाय मानने वाले लोग ही चुनाव जीतकर नीति नियंता बन रहे है । कांग्रेस के शासन काल मे जनता को खैरात बांटने व तुष्टीकरण की नीति का पालन किया गया ।किन्तु अधिसंख्य जनता को शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार से वंचित रखा गया ।इसी कारण कांग्रेस लगभग पचास वर्षो तक सत्ता मे बनी रही।

नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय जनमानस की आवश्यकताओ एवं भारतीय शैक्षणिक पर्यावरण के अनुरूप रखने का यत्न किया गया है शिक्षा व्यवस्था को उपाधि उन्मुख न रखकर ज्ञान परक एवं रोजगार परक बनाने का प्रयास किया गया है पूर्व प्रचलित रटन्त विधा के स्थान पर शिक्षार्थी मे तर्क शक्ति विकसित करने का यत्न नई शिक्षा नीति की विलक्षणता है। शिक्षार्थी मे कार्य कुशलता विकसित करने हेतु प्राथमिक स्तर से ही रोजगार परक शिक्षा का समावेश किया गया है किसी कार्य विशेष मे निपुणता व दक्षता प्राप्त करने के साथ ही विज्ञान कला वाणिज्य इत्यादि विषयो के समेकित अध्ययन को बल दिये जाने के कारण शिक्षार्थी का बहुआयामी विकास सम्भव हो सकेगा। यदि सरकार द्वारा ईमानदारी पूर्वक यत्न किये गये तो इस नीति के सकारात्मक परिणाम 2030 तक दृष्टि गत होने लगेगे ।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को रोजगार परक तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री–डी मशीन, डेटा–विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नई शिक्षा नीति प्रारुप –भारत सरकार।
2. शैक्षणिक निबन्ध – प्रोफेसर राम सकल पान्डेय।

❖◆❖